



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180194

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 7959 वर्ष 2026

अरबाज़ खान उर्फ़ शनि

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : बभ्रू वाहन सिंह, शत्रुंजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 220 सन् 2025, धारा 109, 191(2), 115(2), 324(4) बी.एन.एस., थाना-चितबड़ागांव, जनपद-बलिया में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है। घायल करण को आई एक चोट को छोड़कर, घायलों को आई किसी भी चोट को गंभीर प्रकृति की अथवा जीवन के लिए खतरनाक नहीं कहा जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह-अभियुक्त गोलू, बाउल उर्फ आबिद, सलीम, ताई, राहुल और अनिल को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का मामला सह-अभियुक्तों के मामले के समान स्थिति में है।
4. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों संबंधी तर्कों पर विवाद नहीं किया।
5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।
6. समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त गोलू, बाउल उर्फ आबिद, सलीम, ताई, राहुल और अनिल को इस न्यायालय द्वारा नियमित जमानत प्रदान की गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट चार दिनों के विलंब से दर्ज कराई गई है। करण को आई एकमात्र गंभीर चोट आवेदक को आरोपित नहीं की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
7. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।
8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक- **अरबाज खान उर्फ शानी** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में निम्नलिखित शर्तों के अधीन थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करने पर तत्काल अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उसे न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से विमुख किया जा सके;

iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

31 अगस्त, 2026

ए. पाण्डेय

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।